कमला बनाम भगवानाराम मु. नं. 36/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.6.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 36 / 2021

1 कमला आयु 50 साल पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा हॉल पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बागडोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
2 प्रमोद कुमार आयु 37 साल दत्तक पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 भगवानाराम आयु 75 साल पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 भंवरी आयु 57 साल पुत्री भगवानाराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम झीगरछोटी तहसील धोद जिला सीकर।
3 तारामणी आयु 45 साल पुत्री भगवानाराम पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम मैलासी तहसील धोद जिला सीकर।
4 सुमन पत्नी प्रमोद कुमार जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 हल्का पटवारी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ बमुकदमा उनवानी कमला आदि
बनाम भगवानाराम आदि मु.नं. 14 / 2021 आदेश
दिनांक 08.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र कुमार मातवा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री चुन्नीलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 3/617 जिसके नये खसरा नम्बर 695, गत खसरा नम्बर 7/621 जिसके नये खसरा नम्बर 700, गत खसरा नम्बर 268 जिसके नये खसरा नम्बर 696 वाके ग्राम नरोदड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.01.2021 को अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कही पर भी यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्टस ने आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अप्रार्थीगण की तामील हेतु कोई प्रयास नहीं किया है और जानबुझकर तामील नहीं करवा रहा है। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी थी और अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे सभी अप्रार्थीगण की तामील होने के पश्चात आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित जाकर आदेश 39 नियम 3

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है इसलिये आदेश जैर अपील विधि प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 भंवरी देवी विवादित भूमियों की सहखातेदार है अतः आवेदन आदेश 39 नियम 3 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है जबकि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी में तामील के संबंध में ठोस कार्यवाही के संबंध में है और प्रस्तुत वाद में सभी अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी थी लेकिन विचारण न्यायालय ने विधि प्रावधानों के विपरित जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 695 रकबा 3.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 700 रकबा 2.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 696 रकबा 1.23 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.13 हैक्टेयर अपीलान्ट अपीलान्ट की संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है उक्त भूमियों की खोतदारी पूर्व में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 के पूर्वज लादूराम के नाम से दर्ज थी ओर लादूराम की मृत्यु के पश्चात 1/2 हिस्से की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भगवानाराम के नाम दर्ज हो गयी जिसमें अपीलान्टस का जन्म से ही हक, हिस्सा है और अपीलान्टस ने अपने हक, हिस्से की उद्घोषणा हेतु वाद व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिसमें विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय से बहस सुनकर विवादित कृषि भूमियों के संबंध में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया था उक्त आदेश को बिना किसी युक्ति युक्त कारण के आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के आवेदन को स्वीकार कर खारिज किया है जबकि प्रस्तुत वाद में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते क्योंकि प्रस्तुत वाद में सभी पक्षकारान की तामील हो चुकी थी, इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.04.2021 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ताफैसला वाद विवादित भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.01.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 25.01.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अंतरिम आदेश है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ताफैसला वाद विवादित भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.01.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम आदेश दिनांक 25.01.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 25.01.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अंतरिम आदेश है। विचारण न्यायालय में धारा 212 का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 27/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर